रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2000/श्रावण 27, 1922
No. 434] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2000/SRAVANA 27, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2000

सं. 43/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 665 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उत्पाद शुल्क्य माल अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में उपशीर्ष स0 2502.29 के अंतर्गत आने वाले सीमेंट और उपशीर्ष सं0 7210.90 के अंतर्गत आने वाले इस्पात को, उन पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट तब देती है जब इस माल को उडीसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तूफान ग्रस्त जिलों या ऐसे जिलों के इंदिरा आवास योजना या आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के पुनर्वित्तीय आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए, इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचित क्षेत्रों में, अधिसूचित इंडेटिंग एजेंट को प्रदाय किया जाता है, और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता है, अर्थात्–

(i) कारखाने से उक्त उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी एक इंडेंट के आधार पर होगी जिस पर कि अन्य बातों के अलावा इंडेंट एजेंट का नाम और पता, निकासी के लिए माल की मात्रा और उक्त उद्देश्य के लिए उपयोग से पूर्व माल के भंडार की जगह का वर्णन किया जाता है।

(ii) उक्त इंडेंट को–

(क) इंदिरा विकास योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई माल के मामले में, किसी ऐसे अधिकारी, जो उडीसा सरकार के पंचायती राज्य विभाग में सचिव स्तर से निम्न पंक्ति का अधिकारी न हो, प्रमाणित किया जाता है।

(ख) आवास एवं शहरी विकास संस्था रिफाइनेंस आवास योजना के अंतर्गत प्रदाय किए गए माल के मामले में, किसी ऐसे अधिकारी जो उडीसा सरकार आवास एवं शहरी विकास विभाग में सचिव स्तर से निम्न पंक्ति का अधिकारी न हो, द्वारा प्रमाणित किया जाता है –

(i) उक्त योजनाओं के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए उक्त माल की आवश्यकता है।

(iii) कारखाने या निकासी के स्थान से माल को उपयुक्त इन्डेन्ट में वर्जित भंडार स्थान को सीधे भेजा जाता है।

(iv) उक्त निकासी के कागजात पर विनिर्माता ये प्रमाणित करता है कि इडटिंग एजेंट द्वारा दिए इडट के अनुसार ही माल का प्रदाय किया गया है ।

(v) माल के निकासी के 3 महीने के अंदर कंन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को, विनिर्माता शर्त (iii) में वर्णित अधिकारियों द्वारा ये प्रमाण-पत्र पेश करते हैं कि उक्त उद्देश्य के लिए माल का उपयोग किया गया है और समुचित कारण दिखाने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, यथास्थिति, उक्त 3 महीने की अवधि को बढा सकता है ।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 2001 तक प्रभावी होगी ।

[एफ. सं. 345/3/2000-टी आर यू]

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2000

No. 43/2000-Central Excise

G. S. R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods, namely, cement falling under sub-heading No.2502.29 and steel falling under sub-heading No.7214.90 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), when supplied to indenting agents notified by the Government of Orissa for the purpose of this notification for use in the construction of houses under the Indira Awas Yojana and Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) Refinance Housing Scheme in the cyclone affected districts of the State or areas of such districts as may be notified by the Government of that State, from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the following conditions, namely:

(i) the said excisable goods are cleared from the factory on the basis of an indent containing *inter-alia* the name and address of the indenting agent, the quantity of goods required to be cleared and the place of storage of the goods before their use for the aforesaid purpose;

(ii) the aforesaid indent is duly certified –

(a) in the case of goods supplied under the Indira Awas Yojana, by an officer not below the rank of Secretary in the Department of Panchayati Raj in the Government of Orissa; and

(b) in the case of goods supplied under the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) Refinance Housing Scheme, by an officer not below the rank of the Secretary in the Department of Housing and Urban Development in the Government of Orissa,

that the goods are required for construction of houses under the aforesaid Schemes;

(iii) the goods are dispatched directly from the factory or any other place of removal of the manufacturer to the place of storage specified in the relevant indent;

(iv) the manufacturer of the said goods certifies on the relevant clearance documents that the goods are supplied to the indenting agents in accordance with the indents placed by them; and

(v) within three months from the date of removal of the goods, the manufacturer produces a certificate to the jurisdictional Central Excise Officer from the authorities specified in condition (ii) that the goods have been used for the specified purpose, and where sufficient cause is shown to the jurisdictional Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, he may extend the said period of three months.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of July, 2001.

[F. No 345/3/2000-TRU]

PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 —2000